निर्णय बाईजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या : 180/18
दायरा दिनांकः : 30.10.2018

उनवान

1. नाथूलाल पुत्री कान्हा जाति बैरवा नि. समसपुर तहसील बारां जिला बारां।

– वादनी

बनाम

1. धूली बाई पुत्री कान्हा पत्नि ओमप्रकाश जाति बैरवा निवासी बावडीखेडा तह.बारां
2. घींसी बाई पुत्री कान्हा पत्नि रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी कोटा जिला कोटा
3. भूलीबाई पुत्री कान्हा पत्नि महावीर जाति बैरवा निवासी उण्डा तह.बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां।

– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा **88,89,90,188 RTAct** एवं धारा 136 **LRAct**

उपस्थित :–

1. श्री सत्यनारायण मीणा एड0 – वादी
2. श्री तेज कुमार मीणा एड0 –प्रतिवादी

::: निर्णय :::

दिनांक : 09.03.2021

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम समसपुर पटवार हल्का लिसाडिया तह. बारां मे खाता सं. नया 26 पुराना 28 मे आराजी ख.नं. 305/684 रकबा 0.66 है0 किस्म बारानी 2 लगानी 5.28 रू स्थित है जो विवादित है। उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड मे कान्हा पुत्र रूग्घा कौम बैरवा सा.देह की खातेदारी मे दर्ज है। मृतक कान्हा के एक पुत्र तीन पुत्रियां क्रमषः नाथूलाल वादी धूलीबाई,घींसी बाई, भूलीबाई प्रतिवादी 1,2,3 जायज वारिस एवं उत्तराधिकारी है। वादी के पिता कान्हा का फोती इंतकाल खुलवाने का आवेदन करने पर पता चला कि राजस्व रिकार्ड मे स्व. कान्हा पुत्र रूग्घा के स्थान पर कान्हा पुत्र भवाना दर्ज है। इस कारण फौती इंतकाल नही खोला जा सका। वादी के पिता कान्हा के बाल्यकाल मे उनके पिता रूग्धा की मृत्यु होने के बाद वादी के पिता कान्हा की माता मन्नीबाई ने भवाना निवासी रटावद से जाती विवाह कर लिया। नाता विवाह के समय देवीलाल एवं कान्हा दोनो नाबालिग अवस्था मे मन्नीबाई के साथ भवाना के ग्राम रटावद मे रहने एवं लालन पालन करने के कारण पिता के नाम कान्हा पुत्र भवाना राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गया जो वर्तमान मे भी चला आ रहा है। मृतक कान्हा पुत्र रूग्घा व मृतक कान्हा पुत्र भवाना पृथक–पृथक व्यक्ति न होकर एक ही है। मृतक कान्हा वादी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:38:36 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी कम 1,2,3 का पिता है। उक्त विवादित आराजी मे जो उनका हक व हिस्सा है। अस्तु वादी मृतक कान्हा पुत्र रूग्घा का फौती इंतकाल अपने नाम खुलवाकर विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने की घोषणा करवा पाने का अधिकारी एवं नालिषी है। वादी अपने पिता कान्हा के जीवनकाल से ही मौके पर 30 वर्षो से काबिज काष्त करता चला आ रहा है। इस कारण विवादित आराजी पर वादी को एडवर्स पजेषन प्राप्त हो गया है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड मे विवादित आराजी का खातेदार कृषक बन गया है जो विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी कम 4 के कर्मचारियों द्वारा विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी देकर कब्जा हटाने हेतु कहा गया। जिसका प्रतिवादी कम 4 को कोई अधिकार प्राप्त नही है। अस्तु वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व अविलम्ब स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी एवं नालिषी है। वाद कारण दिनांक 20.08.2018 को प्रतिवादी कम 4 के अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा वादी को विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी देने पर समसपुर तहसील बारां मे पैदा हुआ। वाद पेष करने से पूर्व राज.सरकार जर्ये प्रतिनिधी जिला कलक्टर बारां को जर्ये अधिवक्ता नोटिस धारा 80 सीपीसी का अन्दर मियाद प्रेषित करवा दिया। वाद का मूल्यांकन विवादित आराजी के लगान का 50 गुना कायम किया जाकर उचित न्याय शुल्क वाद अवधि मध्य पेष है। उक्त विवादित आराजी का वादी का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे रूग्घा के स्थान पर वादी का नाम अंकित किया जावें साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें ।

उक्त आषय का वाद पेष होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गयी। प्रतिवादी 1 ता 3 ने जर्ये अभिभाषक इकबालिया जवाब पेष कर अंकित किया कि वाद पत्र का मद नं0 1ता 9 स्वीकार है मद नं0 10 ता 12 कानूनी है। उक्तानुसार मुताबिक जवाब प्रार्थना पत्र वादी वाद डिकी किये जाने मे प्रतिवादी कम 1 ता 3 को कोई आपत्ति/एतराज नही है। वाद पत्र मे प्रतिवादी कम 4 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया। बावजूद सूचना पैरोकार सरकार का जवाब अप्राप्त। जवाब पैरोकार सरकार बंद किया गया।

साक्ष्य वादी मे जर्ये अभिभाषक मुख्य परीक्षण शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिनमे में PW1 नाथूलाल, PW2 रामकिषन के बयान लेखबद्व किये गये। बयानों मे वादी द्वारा वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया। वकील वादी द्वारा जमाबंदी ख.नं. 305/684 प्रादर्ष–1, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रादर्ष–2 अंकित करवायें।

हमने बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी। विद्वान वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र के चरणों को दोहराया। जवाब में विद्वान वकील प्रतिवादीगण के इकबालिया जवाब होने से वादी वकील के वाद पर कोई आपत्ति दर्ज नही करवायी। वकील वादी को लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया।

लिखित बहस अनुसार विवादित आराजी ग्राम समसपुर पटवार हल्का लिसाडिया तह. बारां मे खाता सं. नया 26 पुराना 28 मे आराजी ख.नं. 305/684 रकबा 0.66 है0 किस्म बारानी 2 लगानी 5.28 रू स्थित है। उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड मे कान्हा पुत्र रूग्घा कौम बैरवा सा.देह की खातेदारी मे दर्ज है। मृतक कान्हा के एक पुत्र तीन पुत्रियां कमषः नाथूलाल वादी धूलीबाई, घींसी बाई, भूलीबाई प्रतिवादी 1,2,3 जायज वारिस एवं उत्तराधिकारी है। राजस्व रिकार्ड मे स्व. कान्हा पुत्र रूग्घा के स्थान पर कान्हा पुत्र भवाना दर्ज होने के कारण फौती इंतकाल नही खोला जा सका। नाता विवाह के समय देवीलाल एवं कान्हा दोनो [illegible] के साथ भवाना के ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:38:36 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

रटावद मे रहने एवं लालन पालन करने के कारण पिता का नाम कान्हा पुत्र भवाना राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गया जो वर्तमान मे भी चला आ रहा है। मृतक कान्हा वादी एवं प्रतिवादी कम 1,2,3 का पिता है। उक्त विवादित आराजी मे जो उनका हक व हिस्सा है। अस्तु वादी मृतक कान्हा पुत्र रूम्धा का फौती इंतकाल अपने नाम खुलवाकर विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है तथा वादी अपने पिता कान्हा के जीवनकाल से ही मौके पर 30 वर्षो से काबिज काष्त करता चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजी रूम्धा से वादी के वास्तविक पिता कान्हा को प्राप्त हुयी तथा कान्हा के ही वादी एवं प्रतिवादी गण जायज वारिस एवं उत्तराधिकारी है ।

हमने वकील फरीकेन की बहस सुनी एवं मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली मे विवादित आराजी के इंतकाल मे त्रुटि होना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है। वादी को सक्षम न्यायालय मे इंतकाल की अपील प्रस्तुत कर वांछित अनुतोष प्राप्त करना चाहिये था।

अतः वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9.03.2021 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:38:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner